



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2370]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 9, 2013/आश्विन 17, 1935

No. 2370]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2013/ASVINA 17, 1935

**सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय****अधिसूचना**

एतद्वारा नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2013

का.आ. 3062(अ).—सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के नियम 5 और 7 के साथ पठनीय सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 3 और 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, एतद्वारा एक सांख्यिकीय सर्वेक्षण, जिसे अब आगे 'वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2012-13' के रूप में संदर्भित किया जाएगा, के माध्यम से नीचे दी गई अनुसूची-I में उल्लिखित व्योरे के अनुसार विनिर्माण तथा इससे संबंधित कार्यकलापों के बारे में आंकड़े एकत्र करने का निदेश देता है।

2. इसके अलावा, मंत्रालय उक्त निदेश के संदर्भ में नीचे दी गई अनुसूची-II में उल्लिखित व्यक्तियों और साथ ही कार्यालय में उनके नामितियों को, उसमें दी गई भौगोलिक इकाइयों के संबंध में सांख्यिकी अधिकारियों के रूप में नामित करता है।

3. संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, प्रत्येक सूचनादाता द्वारा दी गई सूचना के सत्यापन, तत्संबंधी रिकॉर्डों के सत्यापन, और जब भी आवश्यक हो स्पष्टीकरण मांगने के लिये, सांख्यिकी अधिकारी के कार्यक्षेत्र में नियुक्त किये जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति फोटो पहचान पत्र अथवा संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी प्राधिकार पत्र अपने साथ रखेगा।

4. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2012-13 के संबंध में सूचनादाता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना जिसे भाग-I में सांख्यिकी के रूप में एकत्र किया गया है, के विधिवत सत्यापन और जांच के बाद, इसका उप महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (औद्योगिक सांख्यिकी स्कंध), कोलकाता के कार्यालय में तथा तदंतर भाग-II में संग्रहित सांख्यिकी का श्रम ब्यूरो में कार्यरत अधिकारियों द्वारा संसाधन किया जाएगा।

5. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2012-13 से सम्बंधित किसी भी कार्यकलाप में लगे सभी व्यक्ति सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) और सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के प्रावधानों द्वारा अधिशासित होंगे। इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) अथवा (6) के तहत किसी भी सांख्यिकी अधिकारी को कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है।

### अनुसूची-1

#### सांख्यिकी संग्रहण का विषय और प्रयोजन :

1. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2012-13 के माध्यम से संगठित विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि, संरचना और ढांचे जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित कार्यकलाप, मरम्मत सेवाएं, गैस और जलापूर्ति तथा कोल्ड स्टोरेज से संबंधित कार्यकलाप शामिल हैं, के बारे में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं।

#### सांख्यिकी संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र :

2. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के तहत वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2012-13 जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़ कर पूरे भारत में आयोजित किया जा रहा है।

#### आंकड़ा संग्रहण की पद्धति :

3. प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी उसके कार्यक्षेत्र में आने वाले सूचनादाताओं को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें सूचना देने की तारीख, जिसे सूचना दी जानी है उस अधिकारी अथवा कार्यालय का नाम, जिस इकाई अथवा जिन इकाइयों के बारे में सूचना दी जानी है, उसका ब्यौरा और वह प्रपत्र जिसमें सूचना दी जानी है, का विवरण दिया जाएगा। सांख्यिकी अधिकारी ऐसी अन्य शर्तों के अधीन, जिन्हें वह नोटिस में स्पष्ट करेगा, सूचनादाता को निर्धारित सूचना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में फाइल करने की अनुमति दे सकता है।

#### सूचनादाताओं का स्वरूप जिनसे आंकड़े एकत्र किए जाने हैं

4. इकाइयों [यानि फैक्टरी अथवा बिजली या गैस या जलापूर्ति करने वाले उद्यम अथवा बीड़ी एवं सिगार कामगार (रोजगार की परिस्थितियां) अधिनियम, 1966 के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठान] के मालिक अथवा दखलदार, जिन्हें सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा, इकाइयों के बारे में सूचना उपलब्ध कराएंगे।

5. सांख्यिकी अधिकारी ऐसी अन्य शर्तों जिन्हें वह नोटिस में स्पष्ट करेगा, के अधीन मालिक अथवा दखलदार से एक ही प्रबंधमंडल के तहत उन दो अथवा अधिक इकाइयों के बारे में समेकित सूचना उपलब्ध कराने की अनुमति दे सकता, जिनके बारे में प्रत्येक इकाई के अनुसार अलग-अलग सूचना उपलब्ध नहीं है।

#### सांख्यिकी संग्रहण का कार्य सम्पन्न करने की अवधि

6. प्रत्येक सूचनादाता द्वारा सूचना प्रस्तुत करने की तारीख नोटिस में उल्लिखित की जाएगी और यह आमतौर पर सितम्बर, 2013 से जून, 2014 के बीच होगी।

#### संदर्भ अवधि

7. प्रस्तुत की जाने वाली सूचना, 01 अप्रैल, 2012 से शुरू होने वाले और 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष अथवा इकाई के लेखाकरण वर्ष, जो 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 के बीच किसी भी तारीख को समाप्त होता है, के बारे में होगी।

#### एकत्र की जाने वाली सूचना की प्रकृति

8. अपेक्षित सूचना के दो भाग हैं। भाग-I परिसम्पत्तियों और देयताओं, रोजगार तथा श्रम लागत, प्राप्तियां, व्यय, निवेश की मर्दे-देशी अथवा आयातित, उत्पाद और उप-उत्पाद, वितरण संबंधी व्यय आदि से संबंधित सूचना के बारे में है। भाग-II श्रम सांख्यिकी के विभिन्न पहलुओं, नामतः, कार्यदिवस, श्रम दिवस जिनमें कार्य हुआ, अनुपस्थिति, श्रम कारोबार, श्रम के घंटे जिनमें कार्य हुआ, आय तथा सामाजिक सुरक्षा लाभ से संबंधित सूचना के बारे में है।

**भाषा जिसमें सूचनादाता द्वारा सूचना दी जानी है**

9. सूचनादाता निर्धारित प्रपत्र में हिंदी अथवा अंग्रेजी में सूचना उपलब्ध कराएगा ।

**सूचनादाता का दायित्व**

10. इकाई का मालिक या दखलदार संबंधित सांख्यिकी अधिकारी से प्राप्त नोटिस में दिए गए तरीके से और तारीख तक सूचना उपलब्ध कराएगा । वह सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर अपेक्षित सूचना के संबंध में निरीक्षण के लिए तत्संबंधी रिकार्ड उपलब्ध कराएगा और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी देगा ।

**निरीक्षण किए जाने वाले कारोबारी रिकार्ड और अन्य रिकार्डों की प्रकृति**

11. सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इकाई द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के समर्थन में उस इकाई के कारोबार रिकार्ड जैसे कि बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता, मस्टररोल, उपस्थिति रजिस्टर, श्रम रजिस्टर, वेतन नामावली, निदेशक की रिपोर्ट अथवा कोई अन्य कानूनी दस्तावेज की जांच कर सकता है ।

**निरीक्षण का तरीका**

12. संबंधित सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इकाई के कारोबार रिकार्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर इकाई द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की पुष्टि कर सकता है और संबंधित मालिक अथवा दखलदार या इकाई के प्रबंधमंडल द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकता है ।

**अनुसूची-II**

क्रम सं.	सांख्यिकीय अधिकारी	कार्यक्षेत्र (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	पता
1.	श्री राम कृष्णा उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय शिमला	हिमाचल प्रदेश	बोसवेल विला, निकट दीपक प्रोजेक्ट, पी.ओ. समर हिल, बॉयलगंज, शिमला-171005.
2.	श्री इन्द्रजीत सिंह उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय जालन्धर	पंजाब	348, जसवंत नगर, गड़ा रोड, निकट गुरुद्वारा, जालन्धर शहर-144022.
3.	श्री हरबिन्दर सिंह उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़	हरियाणा एवं चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	एनएसएसओ (एफओडी), छठा तल, केन्द्रीय सदन, सेक्टर-9ए, चंडीगढ़- 160017.
4.	श्री पी.के.डे. उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	दिल्ली	एनएसएसओ (एफओडी), ईस्ट ब्लॉक-6, आर के पुरम, नई दिल्ली- 110066.
5.	श्री जी. आर. मीना उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर	राजस्थान	प्लॉट नम्बर-70/149 से 154, पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर-302020.
6.	श्री अहमद अयूब बी. उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय बंगलूरु	कर्नाटक	पांचवां तल, ई एण्ड एफ विंग, केन्द्रीय सदन (सीजीओ), 17 मेन- दूसरा ब्लॉक, करमंगला, बंगलूरु- 560034.
7.	श्री के. पी. उन्नीकृष्णन उप महानिदेशक, आंचलिक कार्यालय, बंगलूरु	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र)	दूसरा तल, बी. विंग केन्द्रीय सदन कोरामंगला, बंगलूरु-560034.

8.	श्री जी. सुब्रमण्यम उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई	तमिलनाडु, पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	बी. विंग, दूसरा तल, तीसरा ब्लॉक, शास्त्री भवन, हैडो रोड, नंगम्बक्कम, चेन्नई-600006.
9.	श्री सुब्रता धर उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय तिरुवनंतपुरम	केरल	ब्लॉक बी., भूतल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, पुनकुलम, वेलाइनी, पीओ, त्रिवेन्द्रम-695522.
10.	श्री जी. मोहन राव उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	293/7, प्रथम तल, आर एण्ड बी कॉम्प्लेक्स, महावीर मार्ग, ए.सी. गाडर्स, हैदराबाद-500004.
11.	श्री पी. वी. आर. प्रसाद उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय हुबली	गोआ	दूसरा तल, श्रीनाथ कॉम्प्लेक्स, नीलीगिन रोड, हुबली-580021.
12.	सुश्री ममता सक्सेना उप महानिदेशक, आंचलिक कार्यालय लखनऊ	उत्तर प्रदेश	सर्वेक्षण भवन, सेक्टर-11, आईएनएस-IV, विकास नगर, रिंग रोड, लखनऊ-226022.
13.	श्री अजय मिश्रा उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून	उत्तराखंड	5, इंदिरा गांधी मार्ग, निरंजनपुर, माजरा, देहरादून-248171.
14.	श्री बी.के. त्यागी उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल	मध्य प्रदेश	हॉल नं. 201, ब्लॉक बी. दूसरा तल, विजय स्तंभ, जोन-1, एमपी नगर, भोपाल
15.	श्री ए.के. सरकार उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर	बिहार	चाणक्य पैलेस, हाजीपुर रोड, मुजफ्फरपुर-842002.
16.	श्री के. पी. मिश्रा निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय सम्बलपुर	ओडिशा	161, सेन पार्क लेन, गोल बाजार, नयापाड़ा, सम्बलपुर-768001.
17.	श्री ज्योतिमय पोद्दार उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता	पश्चिम बंगाल	सीजीओ कॉम्प्लेक्स, दूसरा तल, ई विंग, सेक्टर-1 ब्लॉक डीएफ, साल्ट लेक, कोलकाता-700064.
18.	श्री टी. के. सान्याल उप महानिदेशक, क्षे. कार्या. रांची	झारखंड	आत्माराम भवन, तीसरा तल, बंगला स्कूल लेन, महावीर मंदिर के पीछे, मेन रोड, रांची-834001.
19.	श्री दिनेश चन्द शर्मा उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी	असम	तीसरा तल, सी ब्लॉक, बी विंग, हाउसफैड कॉम्प्लेक्स, बशिष्ट रोड, दिसपुर, गुवाहाटी-781006.
20.	श्री एम. एम. सिंह निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कोहिमा	नागालैण्ड, मणिपुर	डाकलेन, नागा बाजार, निकट सुमी चर्च, कोहिमा
21.	डा. वी. के. श्रीवास्तव उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय शिलांग	मेघालय, त्रिपुरा	दत्ता कुटीर, ऑकलैण्ड रोड, शिलांग- 793001.

22.	श्री एस. चट्टोपाध्याय उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय गंगटोक	सिक्किम	रिनजिंग बिल्डिंग, गैरी गांव, पीओ. तडंग, गंगटोक-737102.
23.	श्री एस. के. जाना उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई	महाराष्ट्र	चौथा तल, ए-2/3 विंग, निकट कोंकण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सीबीडी बेलापुर, नवी मुम्बई-400614.
24.	श्री सुवेन्दु हाजरा उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद	गुजरात, दादरा एवं नागर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र) और दमन एवं दीप (संघ राज्य क्षेत्र)	दूसरा एवं तीसरा तल, डाक्टर हाउस, निकट परिमल रेलवे क्रॉसिंग, सीजी रोड, अहमदाबाद-380006.
25.	श्रीमती एस. ए. भोयर उप महानिदेशक, आंचलिक कार्यालय नागपुर	छत्तीसगढ़	सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ए ब्लॉक, प. विंग, तीसरा तल सेमीनरी हिल्स, नागपुर-440006.

[फा. सं. पी-11012/3/2011-ईएसडी]

एस. एस. वधावन, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th October, 2013

**S.O. 3062(E).**—In exercise of the powers conferred by sections 3 and 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011, the Ministry of Statistics & Programme Implementation hereby directs Collection of Statistics on manufacturing and related activities through a statistical survey, hereinafter referred to as 'the Annual Survey of Industries 2012-13', as per the details mentioned in the Schedule-I given below :

2. The Ministry further appoints the persons as also their assignees in office, mentioned in the Schedule-II given below, as Statistics Officers in respect of the geographical units mentioned thereof with reference to the aforesaid direction.
3. The persons authorized by the concerned Statistics Officer would be engaged in the jurisdiction of the Statistics Officer for verification of information furnished by each informant, for inspecting relevant records, and for seeking clarifications, as may be necessary. Each person would carry a photo identity card or a letter of authorization issued by the concerned Statistics Officer.
4. The statistics collected in Part-I in respect of the Annual Survey of Industries 2012-13 furnished by the informants, after due verification and scrutiny, will be processed by officials working at the Office of the Deputy Director General, Central Statistics Office (Industrial Statistics Wing), Kolkata and the statistics collected in Part-II thereof will be processed by officials working at the Labour Bureau.
5. All the persons engaged in any activity in respect of the Annual Survey of Industries 2012-13 are governed by the provisions under the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) and the Collection of Statistics Rules, 2011. No power has been delegated to any Statistics Officer under sub-sections (4) or (6) of section 4 of the Act.

**SCHEDULE-I****Subject and purpose for collection of Statistics :**

1. Statistics relating to growth, composition and structure of organized manufacturing sector comprising activities related to manufacturing processes, repair services, gas and water supply and cold storage is collected through Annual Survey of Industries 2012-13.

**Geographical area for collection of statistics :**

2. The Annual Survey of Industries 2012-13 is conducted in the whole of India, except the State of Jammu & Kashmir, under the Collection of Statistics Act, 2008.

**Method of data collection :**

3. A notice will be issued by each Statistics Officer to informants under his jurisdiction, indicating therein the date by which, the officer or office to whom, the unit or units for which, and the formats in which information is required to be furnished. A Statistics Officer may permit an informant to file the prescribed information in electronic form, subject to such other conditions that he may specify in the notice.

**Nature of informants from whom data may be collected :**

4. The owner or occupier of a unit [i.e. a factory or electricity or gas or water supply undertaking or an establishment registered under the Beedi & Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966] who would be issued notice by a Statistics Officer shall furnish information about the unit.

5. A Statistics Officer may require an owner or occupier to furnish consolidated information in respect of two or more units under single management in case information is not separately available for individual units and subject to such other conditions, as he may specify, in the notice.

**Period during which collection of statistics may be completed :**

6. The date for submission of information by each informant would be mentioned in the notice and it would generally fall during September, 2013 to June, 2014.

**Reference Period**

7. Information is required to be furnished for the financial year commencing from 1<sup>st</sup> April, 2012 and ending on 31<sup>st</sup> March, 2013 or for the accounting year of a unit ending on any date between 1<sup>st</sup> April 2012 and on 31<sup>st</sup> March, 2013.

**Nature of Information to be collected**

8. The information required has two parts. Part-I relates to information on assets and liabilities, employment and labour cost, receipts, expenses, input items- indigenous and imported, products and by-products, distributive expenses etc. Part-II relates to information on different aspects of labour statistics, namely, working days, mandays worked, absenteeism, labour turnover, man-hours worked, earning and social security benefits.

**Language in which information is to be furnished by informant :**

9. An informant shall furnish information in the prescribed formats either in Hindi or in English.

**Obligation of informant :**

10. An owner or occupier of a unit shall furnish information in the manner and by the date mentioned in the notice received by him from the concerned Statistics Officer. He should also furnish relevant records for inspection, and answer questions in relation to the information sought, as may be required by the Statistics Officer or a person authorized by him.

**Nature of business records and other records which may be inspected:**

11. Business records of a unit, such as balance sheet, profit & loss account, muster rolls, attendance register, labour register, pay rolls, Director's report or any other legal document in support of the information furnished by the unit may be inspected by the Statistics Officer or a person authorized by him.

**The manner of inspection:**

12. The concerned Statistics Officer or a person authorized by him may verify the information furnished by a unit on the basis of business records and other records of the unit and seek clarifications from the concerned owner or occupier or a person authorized by the management of the unit.

**SCHEDULE-II**

Sl. No.	Statistics Officer	Jurisdiction (State/UT)	Address
1	Sh. Ram Krishna DDG, RO, Shimla	Himachal Pradesh	Bosewell Villa, near Deepak Project, PO Summer Hill, Boileauganj, Shimla-171005.
2	Sh. Inderjeet Singh DDG, RO, Jalandhar	Punjab	348, Jaswant Nagar, Garha Road, near Gurudwara, Jalandhar City-144022.
3	Sh. Harbinder Singh DDG, RO, Chandigarh	Haryana & Chandigarh (UT)	NSSO(FOD), 6 <sup>th</sup> floor, Kendriya Sadan, Sec-9-A, Chandigarh-160017.
4	Sh. P.K.De DDG, RO, Delhi	Delhi	NSSO(FOD), East Block-6, R.K. Puram, New Delhi-110066.
5	Sh. G.R.Meena DDG, RO, Jaipur	Rajasthan	Plot No.70/149 to 154, Patel Marg, Mansarovar, Jaipur-302020.
6	Sh. Ahmed Ayub B. DDG, RO, Bangalore	Karnataka	V Floor, E & F – Wing, Kendriya Sadan(CGO), 17 Main-2 <sup>nd</sup> Block, Karamangala, Bangalore-560034.

7	Sh. K.P.Unnikrishnan DDG, ZO, Bangalore	Andaman & Nicobar Islands (UT)	2 <sup>nd</sup> Floor, B Wing, Kendriya Sadan, Koramangala, Bangalore-560034.
8	Sh. G.Subramaniam DDG, RO, Chennai	Tamilnadu, Pondicherry (UT)	'B' Wing, II Floor, III Block, Shastri Bhawan, Haddows Road, Nungambakkam, Chennai-600006.
9	Sh. Subrata Dhar DDG, RO, Thiruvananthapuram	Kerala	Block B, Ground Floor, CGO Complex, Poonkulam, Vellayani P.O., Trivandrum-695522.
10	Sh. G.Mohan Rao DDG, RO, Hyderabad	Andhra Pradesh	293/7, Ist floor, R & B Complex, Mahavir marg, A.C.Guards, Hyderabad-500004.
11	Sh. P.V.R.Prasad DDG, RO, Hubli	Goa	2 <sup>nd</sup> floor, Srinath Complex, Neeligin Road, Hubli-580021.
12	Ms. Mamta Saxena DDG,ZO, Lucknow	Uttar Pradesh	Sarvekshan Bhavan, Sector-11, INS-IV, Vikas Nagar, Ring Road, Lucknow- 226022.
13	Shri Ajay Mishra DDG, RO, Dehradun	Uttarakhand	5, Indira Gandhi Marg, Niranjapur, Majra, Dehradun-248171.
14	Sh. B.K.Tyagi DDG, RO, Bhopal	Madhya Pradesh	Hall No. 201, Block-B, 2 <sup>nd</sup> Floor, Vijaya Stambh, Zone-1, M.P.Nagar, Bhopal.
15	Sh. A.K.Sarkar DDG, RO, Muzaffarpur	Bihar	Chanakya Palace, Hajipur Road, Muzaffarpur-842002.
16	Sh. K.P.Mishra Director, RO, Sambalpur	Orissa	161, Senpark Lane, Gole Bazar, Nayapada, Sambalpur-768001.
17	Sh. Jyotirmoy Poddar DDG, RO, Kolkata	West Bengal	CGO Complex, 2nd Floor, E-Wing, Sector-I, Bl.DF, Salt Lake, Kolkata-700064.
18	Sh.T.K.Sanyal DDG, RO, Ranchi	Jharkhand	Atma Ram Bhawan, IIIrd Floor, Bangla School Lane, Behind Mahabir Temple, Main Road, Ranchi-834001.
19	Sh. Dinesh Chand Sharma DDG, RO, Guwahati	Assam	3rd Floor, C-Block, B-Wing, Housefed Complex, Basistha Road, Dispur, Guwahati-781006.
20	Sh. M.M.Singh Director,RO, Kohima	Nagaland, Manipur	Daklane, Naga bazar Near Sumi Church, Kohima.
21	Dr. V.K.Srivastava DDG,RO, Shillong	Meghalaya, Tripura	Dutta Kuthir, Oakland Road, Shillong- 793001.

22	Sh.S.Chattopadyay DDG, RO, Gangtok	Sikkim	Rinzingh Building, Gairi Gaon, Post Office-Tadong, Gangtok-737102.
23	Sh.S.K.Jana DDG, RO, Mumbai	Maharashtra	4th Floor, A-2/3 Wing, near Konkan Bhawan, CGO Complex Building, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.
24	Sh.Suvenu Hazra DDG, RO, Ahmedabad	Gujarat, Dadra and Nagar Haveli(UT) & Daman and Diu (UT)	2nd & 3rd floor, Doctor-House, near Parimal Rly. Xing, C.G.Road, Ahmedabad-380006.
25	Smt. S.A. Bhoyar DDG, ZO, Nagpur	Chhattisgarh	CGO Complex, A-Block, West Wing, IIIrd floor, Seminary Hills, Nagpur-440006.

[F.No. P-11012/3/2011-ESD]

S.S. BADHAWAN, Jt. Secy.